An ISO 9001:2015

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर–3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष - 0651-2444501, 2444502,फैक्स – 2444506
ई–मेल: jepcranchi1@gmail.com

पत्रांकः SMC/05/140/2018-19/....2175 दिनांकः 13.6.2025

प्रेषक,

शशि रंजन, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, झारखण्ड।

विषयः वितीय वर्ष 2025–26 में 'शिक्षक अभिभावक बैठक (पी.टी.एम.)' के आयोजन के संबंध में ।

महाशय,

लोकभागीदारी कार्यक्रम अर्न्तगत विद्यालय प्रबंधन समिति का क्षमता विकास एवं समुदाय एवं माता–पिता को विद्यालयीय गतिविधियों में शामिल करने एवं बच्चों के पठन –पाठन एवं सीखने में सहयोग हेतु जागरूकता बढ़ाने एवं जानकारी प्रदान करने हेतु विद्यालय स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 में भी माता–पिता की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष की भाँति शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन भी किया जाना है। यह कार्यक्रम सभी विद्यालय को प्रत्येक त्रैमास में आयोजित करना है। शिक्षक अभिभावक बैठक की विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SoP)पत्र के साथ संलग्न है।

पूरे राज्य भर में पी.टी.एम. निम्नांकित महिनों में आयोजित किए जाएगें:–

पी.टी.एम	माह	समय
प्रथम	18–26 जून, 2025	09:00 – 12:00
द्वितीय	08–16 सितम्बर, 2025	10:30 – 01:30
तृतीय	08–16 दिसम्बर, 2025	10:30 – 01:30
चतुर्थ	08–16 मार्च 2026	10:30 – 01:30

राज्य की प्राथमिकता के आधार पर पी.टी.एम. के मुद्दों में परिवर्तन किया जा सकता है।

पी.टी.एम. हेतु प्रस्तावित बजटः– लोकभागीदारी मद में प्राप्त राशि से विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के पूर्व प्रचार–प्रसार आदि हेतु प्रति विद्यालय रु 200/– की दर से किया जा सकता है।

जिलावार बजट निम्नवत् प्रस्तावित हैः–

Sl.No.	Name of District	Elementary		Secondary		Total	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1	Bokaro	1453	2.91	107	0.21	1560	3.12
2	Chatra	1463	2.93	107	0.21	1570	3.14
3	Deoghar	1846	3.69	129	0.26	1975	3.95
4	Dhanbad	1597	3.19	130	0.26	1727	3.45
5	Dumka	2173	4.35	128	0.26	2301	4.60
6	Garhwa	1308	2.62	126	0.25	1434	2.87
7	Giridih	2977	5.95	181	0.36	3158	6.32
8	Godda	1389	2.78	130	0.26	1519	3.04
9	Gumla	1218	2.44	113	0.23	1331	2.66
10	Hazaribag	1343	2.69	142	0.28	1485	2.97

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्,
जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,
धुर्वा, राँची – 834 004
दूरभाष - 0651-2444501, 2444502,फैक्स – 2444506
ई-मेल: jepcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015

Sl.No.	Name of District	Elementary		Secondary		Total	
		Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
11	Jamtara	959	1.92	71	0.14	1030	2.06
12	Khunti	710	1.42	59	0.12	769	1.54
13	Kodarma	612	1.22	65	0.13	677	1.35
14	Latehar	973	1.95	84	0.17	1057	2.11
15	Lohardaga	449	0.90	54	0.11	503	1.01
16	Pakaur	904	1.81	66	0.13	970	1.94
17	Palamu	2376	4.75	188	0.38	2564	5.13
18	Pashchimi Singhbhum	1901	3.80	163	0.33	2064	4.13
19	Purbi Singhbhum	1448	2.90	149	0.30	1597	3.19
20	Ramgarh	529	1.06	80	0.16	609	1.22
21	Ranchi	1932	3.86	168	0.34	2100	4.20
22	Sahibganj	1162	2.32	103	0.21	1265	2.53
23	Saraikela-Kharsawan	1323	2.65	97	0.19	1420	2.84
24	Simdega	692	1.38	66	0.13	758	1.52
	Total	**32737**	**65.47**	**2706**	**5.41**	**35443**	**70.89**

त्रैमासिक शिक्षक अभिभावक बैठक हेतु प्रति पी.टी.एम. रु200/- की दर से प्रसार-प्रसार हेतु District Limit में आंवटित है।

निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार शिक्षक अभिभावक बैठक (पी.टी.एम.) के आयोजन ससमय करते हुए व्यय की राशि का समायोजन कर प्रबंध पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/06/25

(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांकः SMC/05/140/2018-19/2175 राँची, दिनांकः 13.6.2025

प्रतिलिपिः सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

13/06/25

(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक....................../ चतरा दिनांक..........................

प्रतिलिपिः-सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-समन्वयक/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, जिला चतरा को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

14/06/2025

14.06.25

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
झा.शि.प.,चतरा

अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM)
मानक संचालन प्रक्रिया (SoP)
वितीय वर्ष 2025-26

पृष्ठभूमि: बच्चों का समग्र विकास माता पिता/अभिभावक एवं शिक्षक की सम्मिलित प्रयास के द्वारा ही संभव है। समग्र शिक्षा एवं नई राष्ट्रीय नीति इस बात पर जोर दिया गया है। बच्चों के सीखने की क्षमता विकास में माता-पिता एवं अभिभावक की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस भूमिका को बेहतर करने के लिए विद्यालयों और समुदायों का आपस में जुड़ाव आवश्यक है। अतः माता-पिता एवं अभिभावक का समय-समय पर विद्यालयों में चल रहे बेहत्तर प्रयासों को जानना व बच्चों की शिक्षण क्षमता के स्तर के विषय पर शिक्षक से चर्चा करना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। छात्रों का नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं Learning Gap को कम करने हेतु माता-पिता की सकारात्मक पहल हेतु नियमित अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन आवश्यक है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैः-

1. विद्यालयों में सहज वातावरण का निर्माण करना।
2. छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सहयोग करना ।
3. बच्चों के Learning Gap को कम करने हेतु माता पिता की जिम्मेवारी का बोध कराना एवं घर में भी शैक्षिक माहौल बनाना ।
4. माता पिता के साथ बच्चों के शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक विकास हेतु पहल करना।
5. बाल सुरक्षा अधिकारों की जानकारी प्राप्त करना एवं अधिकारों के हनन पर रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना।

वितीय वर्ष 2025-26 में त्रैमासिक शिक्षक अभिभावक बैठक कार्यक्रम (पी.टी.एम.) पूरे राज्य भर में निम्नांकित महिनों में आयोजित किया जाएगाः-

पी.टी.एम	माह	समय
प्रथम	18-26 जून, 2025	09:00 - 12:00
द्वितीय	08-16 सितम्बर, 2025	10:30 - 01:30
तृतीय	08-16 दिसम्बर, 2025	10:30 - 01:30
चतुर्थ	08-16 मार्च 2026	10:30 - 01:30

* अपरिहार्य कारण से कार्यक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में राज्य स्तर से प्रदान कर दी जाएगी।

1. राज्य की प्राथमिकता के आधार पर पी.टी.एम. के मुद्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रथम पी.टी.एम. में पूरे राज्य में सामान्य कार्यक्रम का प्रस्तावित स्वरुप निम्नवत् है -

कक्षा I से V तक एवं कक्षा VI से XII

क्र.सं.		विवरणी	समय
1		**शिक्षक अभिभावक बैठक के पूर्व की तैयारी**	
	1.1	सभी बच्चों द्वारा अपने माता-पिता/ अभिभावक हेतु सूचना/आमंत्रण पत्र तैयार करना।	एक सप्ताह पूर्व तैयारी पूर्ण कर लेना
	1.2	बच्चों द्वारा अपने माता-पिता/ अभिभावक हेतु सूचना/ आमंत्रण पत्र पहुँचाना/ग्राम स्तर पर रैली निकाल कर पी.टी.एम. हेतु जागरूक करना।	दो दिन पूर्व
	1.3	माता-पिता/ अभिभावक के स्वागत हेतु बाल संसद की तैयारी ।	दो दिन पूर्व
	1.4	माता-पिता/ अभिभावक के बैठने, पेयजल, अल्पाहार एवं माइक आदि की व्यवस्था करना।	एक दिन पूर्व
	1.5	विद्यालय एवं परिसर की साफ-सफाई।	एक दिन पूर्व
2		**शिक्षक अभिभावक बैठक की गतिविधियाँ**	
	2.1	बाल संसद एवं शिक्षकों द्वारा मुख्य गेट के पास माता-पिता/ अभिभावकों का स्वागत (टीका/माला/फूल इत्यादि)	10 मिनट
	2.2	प्रधानाध्यपक द्वारा उपस्थित सभी माता-पिता/ अभिभावक का स्वागत / अभिवादन	5 मिनट
	2.3	पी.टी.एम. के उद्देश्य पर चर्चा	5 मिनट
	2.4	विद्यालय परिसर का भ्रमण कराना, प्रिंट रिच दीवार, प्ले ग्राउण्ड, किचन गार्डेन, Toilet area, इत्यादि दिखाना एवं उनके उपयोग एवं सुरक्षा हेतु विमर्श करना	20 मिनट
	2.5	विद्यालय में उपलब्ध सभी कमरों के उपयोग को बताना एवं विशेष रुप से सभी प्रकार के लैब एवं पुस्तकालय के प्रयोग को भ्रमण कर दिखलाना।	10 मिनट
	2.6	पेरेंटिंग मंथ में वैश्विक अभियान का उद्देश्य माता-पिता और परिवारों की भूमिका पर चर्चाैर बच्चों के पालन-पोषण में उनकी अहम भूमिका को उजागर करना है।	10
3		**कक्षा I से V**	
	3.1	निपुण भारत (NIPUN Bharat) कार्यक्रम की सफलता में स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका पर चर्चा	55 मिनट
	3.2	FLN की गतिविधियों की समझ बनाना एवं FLN में माता-पिता/विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी बढ़ाने के तरीके /कैलेण्डर पर चर्चा	
4		**कक्षा VI से XII**	
	4.1	प्रथम त्रैमास में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धता की जानकारी प्रदान करना	
	4.2	खेल-कूद में भागीदारी	
	4.3	बाल अधिकार अधिनियम की जानकारी देना	
	4.4	RAIL पर चर्चा के उपरांत Remedial एवं Discussion Classes का आयोजन पर चर्चा	
	4.5	Learning Outcome पर चर्चा (विद्यार्थीवार माता-पिता से बातचीत)	

5.	कक्षा I से V तक एवं कक्षा VI से XII	
5.1	छात्र उपस्थिति – नियमित उपस्थिति के महत्व को बार-बार दुहराना एवं प्रयास कार्यक्रम पर चर्चा। अधिक उपस्थिति वाले बच्चों को प्रोत्साहित/ सम्मानित करना।	
5.2	माता पिता द्वारा घर में स्व-अध्ययन में सहयोग पर चर्चा।	
5.3	छात्रों को मिलने वाली अनिवार्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करना। बच्चों के Uniform पर विशेष चर्चा	
5.4	विद्यालय की स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता का महत्त्व बताना एवं पालन करना।	
5.5	School Score Card, Certification एवं No Cost (NC) /Low Cost (LC) / High Cost (HC)/ Self Assessment Form (SAF) के अर्न्तगत किए जाने वाले गतिविधियों पर विमर्श एवं अब तक किए गए प्रयास की जानकारी देना एवं आवश्यक सहयोग हेतु प्रयास/आग्रह करना	
5.6	Best Performing House/Club के Head को सम्मानित करना	
5.7	RAIL के Toppers को सम्मानित करना	
5.8	विद्यालय के आस-पास नशीली दवाओं एवं नशापान की रोकथाम पर विमर्श	5 मिनट
5.9	पोक्सो अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध कानून एवं रोकथाम हेतु विचार विमर्श	5 मिनट
5.10	सुझाव पेटी एवं खोया/पाया बॉक्स/कूड़ेदान की उपयोगिता पर चर्चा	5 मिनट
5.11	बच्चों द्वारा चेतना सत्र में किये गये सभी गतिविधियों में से सबसे उत्कृष्ट गतिविधि को प्रदर्शित करना जैसे- Dance/Music/ Singing/Debate/Extempore/Sports/Games आदि	50 मिनट

समुदाय द्वारा स्वेच्छा दान

i. प्रत्येक प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक द्वारा समुदाय के द्वारा दान देने हेतु दृढ़ पृष्ठभूमि रखना।

ii. पी.टी.एम. द्वारा सामुदायिक दान के फलस्वरूप विद्यालय को सुदृढ़ करना एवं यदि कोई स्थानीय उदाहरण हो तो साझा करें।

iii. Vidyanjali 2.0 के बारे में समुदाय को बताना एवं Vidyanjali 2.0 में पंजीकृत होने हेतु प्रोत्साहित करना।

iv. कार्यक्रम के अन्त में वैसे सदस्यों जिनका अभूतपूर्व सहयोग मिला है को धन्यवाद एवं सम्मान प्रदान करना।

v. Alumni पर चर्चा एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विद्यालय बुलाकर सम्मानित करना।

2. **योजना क्रियान्वयन एवं मुख्य जिम्मेवारी–** विद्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न भागीदारों की जिम्मेवारी नीचे उल्लेखित की जा रही है–

1. विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक/प्रभारी की भूमिका– पी.टी.एम. के सफल निष्पादन की पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित विद्यालय के शिक्षकों की होगी। एक प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्रधानाध्यापक निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होंगे:–

i. पी.टी.एम. में अधिक से अधिक लोग उपस्थित हो इसके लिए सामुदायिक जागरूकता एवं उत्साह का माहौल तैयार करना।

ii. पी.टी.एम. में ग्राम पंचायत के कार्यकारी सदस्यों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

iii. पी.टी.एम. के पूर्व विद्यालय की सुन्दरता, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना। विद्यालय के शिक्षकों के बीच उक्त बैठक को लेकर महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं भूमिकाओं का विभाजन।

iv. पी.टी.एम. के मद्देनजर निर्धारित एजेण्डा के आलोक में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। साथ ही आयोजन के क्रम में इस बात का ध्यान रखना कि संबंधित गतिविधियाँ छात्र-छात्राओं, माता-पिता एवं अन्य उपस्थित लोगों के लिए जानकारी भरा एवं उत्साहवर्द्धक हो।

v. विद्यालय को प्राप्त स्वेच्छा दान का' रिकोर्ड रखा जाना एवं इसकी रिपोर्टिंग।

vi. राज्य मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट प्रारुप में पी.टी.एम. की बैठक की कार्यवाही लिखा जाना तथा इसे प्रखण्ड एवं जिला स्तर के कार्यालय के साथ साझा करना।

vii. किसी भी अंतिम समय की आवृत्तियों का प्रबंधन और एक सफल पी.टी. एम. की बैठक का आयोजन करना। किसी भी बड़ी चुनौतियों की स्थिति में आवश्यकतानुसार ससमय प्रखण्ड एवं जिला स्तर के कार्यालयों से संबंध स्थापित कर उसका निस्तारण।

ज्ञात हो कि पी.टी.एम. एक महत्वपूर्ण सामुदायिक गतिविधि है। अतः इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा उक्त गतिविधियों में निश्चित रूप से शामिल होंगे।

3. जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जिम्मेवारीः-

i. विद्यालय स्तर पर आयोजित पी.टी.एम. की बैठक के आयोजन हेतु जिला स्तर पर कार्यक्रम की रुप-रेखा तैयार करना एवं जिला एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मियों को शामिल करते हुए उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना।

ii. विद्यालय/प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के बीच पी.टी.एम. की अवधारणा हेतु समझ विकसित करना।

iii. पी.टी.एम. को लेकर लोगों में उत्साह का संचार करने एवं अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व कार्यक्रम से संबंधित प्रचार-प्रसार करना।

iv. उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त के साथ मिलकर जिला एवं प्रखण्ड स्तर के सरकारी पदाधिकारियों की उक्त बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना।

v. व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित पी.टी.एम. की बैठक में भाग लेना। साथ ही जिला स्तर से उक्त बैठक का अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

vi. पी.टी.एम. के आयोजन हेतु बजट उपबंध के अनुरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित व्यक्ति को अधिकृत करना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के पश्चात् संबंधित को ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

4. विभिन्न स्तरों पर प्रचार–प्रसार

अभिभावक शिक्षक संघ के संबंध में एक व्यापक प्रचार–प्रसार अभियान रेडियो, समाचार–पत्र, इलेक्ट्रोनिक मीडिया के द्वारा किया जायेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा समुदाय के बीच संदेश पहुँचे।

जिला स्तर पर यह उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा अधीक्षक एवं मुखिया की जिम्मेवारी होगी कि पी.टी.एम. के दिन अधिकत्तम उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये बड़े पैमाने पर और स्थानीय रूप से संदर्भित प्रचार–प्रसार करें। इसमें निम्नांकित को शामिल किया जा सकता है:–

- डिजीटल पोस्टर्स का Whatsapp के माध्यम से हर स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार।
- प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबंधन समिति सामुदायिक स्तर पर बैठक करेंगे एवं अभिभावकों/माता–पिता को विस्तृत जानकारी देंगे।
- ग्राम पंचायत के कार्यकारी सदस्य, अभिभावक शिक्षक संघ की विस्तृत जानकारी अपने क्षेत्राधीन पंचायत में उपलब्ध करायेंगे।

कार्यक्रम के उपरांत प्रचार–प्रसार (Post Event Publicity)

कार्यक्रम के पूर्व प्रचार–प्रसार को सम्मलित करते हुए, कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न स्तर पर प्रेस रिलीज एवं विडियो तैयार रखेंगे ताकि प्रसारित किया जा सके। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं पीरामल फाउडेशन के माध्यम से राज्य के विभिन्न विद्यालयों में लाइव रिकॉर्डिग कराया जायेगा एवं अभिभावक शिक्षक संघ दिन के उपरांत सभी फुटेज को शामिल करते हुए एक विडियो बनाया जायेगा।

किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रचार/समाचार का त्वरित जांच किया जायेगा, एवं इसकी सूचना झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को अविलंब उपलब्ध करायी जाएगी। इसकी पूर्ण जवाबदेही जिला स्तर की होगी।

5. अभिभावक शिक्षक बैठक का अनुश्रवण:–

अभिभावक शिक्षक संघ के सफल निष्पादन के लिए एक विस्तृत अनुश्रवण किया जायेगा। Google link के माध्यम से उपस्थिति, कार्यक्रम के सभी पहलुओं का क्रियान्वयन एवं सभी गुणवत्त कार्यक्रम की सूचना जमा की जायेगी।

अनुश्रवण तीन स्तरों पर किया जाएगा:-

1. प्रधानाध्यापकों के द्वारा 100% विद्यालयों का स्व-प्रतिवेदित डाटा निम्नवत् Matrics पर होगा:-
   - कक्षावार बच्चों के नामांकन की तुलना में माता/पिता, अभिभावकों की उपस्थिति
   - मुख्य एजेण्डा के अन्तर्गत विषयों की आच्छादित सूची
   - प्राप्त मुख्य सुझाव
   - फोटो अपलोड

2. **30% विद्यालयों का** Random Sampling **के तहत् पार-सत्यापन (Cross Verification)**
   - DEOs/DSEs/ADPOs /APOs/BEEOs /BPOs/BRPs/CRPs के द्वारा दो विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन साझा किया जायेगा।
   - लोकभागीदारी कार्यक्रम में कार्यरत गैर सरकारी संस्थान के कार्यबल अपने कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में पी.टी.एम के आयोजन में सहयोग प्रदान करेंगे।

(शशि रंजन)
राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियाजना परिषद्